रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233044
CG-DL-E-01022022-233044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
No. 89] NEW DELHI, TUESDAY, FUBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 15/2022 – सीमाशुल्क

सा.का.नि. 89 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च,	उक्त अधिसूचना में आरम्भिक पैरा में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

<table>
<tr><td></td><td>2002 सा. का. नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित ।</td><td>“परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।”।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2005 सा. का. नि. 122(अ) तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित ।</td><td>उक्त अधिसूचना में, सारणी में
(i) क्रम सं. 13ध के सामने स्तंभ 3 में मद (ञ) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
“(ट) कलाई में पहनने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है)”;
(ii) क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-<table><tr><td>“23.</td><td>8541 (सिवाय 8541 42 00 या 8541 43 00)</td><td>फोटोवोल्टिक सेल, चाहे मॉड्यूल में एकत्रित हों या न हो पैनल में बने हों या न बने हो, के सिवाए सभी माल।";</td></tr></table>
(iii) क्रम सं. 38 के पश्चात् 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-<table><tr><td>“38क</td><td>8541 42 00 या 8541 43 00</td><td>क्रम संख्यांक 1 से 38 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यत: उपयोग के लिए सभी माल ।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 सा. का. नि. 123(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित ।</td><td>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(i) क्रम सं. 9 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर “टेलिफोन लाइन हैण्डसैट” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(ii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-<table><tr><td>“28</td><td>8544 42,
8541 49</td><td>सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी केबल्स के सिवाय दूर-संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के 80 वी से अधिक वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ।”;</td></tr></table>
(iii) क्रम सं. 28 के सामने, स्तंभ (3) में “मोबाइल फोन” शब्दों के स्थान पर “मोबाइल फोन या कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यत: स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है)” शब्द 1 अप्रैल, 2022 से रखे जाएंगे।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(iv) क्रम सं. 32 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
<table>
<tr><td>“32क</td><td>8541 42 00
या
8541 43 00</td><td>क्रम संख्यांक 1 से 32 के अधीन आने वाले मालों के साथ केवल और अनन्यत: उपयोग के लिए सभी माल ।”;</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 सा. का. नि. 798(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।</td>
<td>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
(i) क्रम सं. 5 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (क) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-
"(क) सेलुलर मोबाइल फोन या कलाई में पहनने योग्य युक्ति (जो सामान्यत: स्मार्ट घड़ियों के रूप में जानी जाती है) के अतिरिक्त अन्य सभी माल”;
(ii) क्रम सं. 6ख के सामने, स्तंभ (3) में, परन्तुक का लोप किया जाएगा;
(iii) क्रम सं. 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
<table>
<tr><td>“13ख.</td><td>
3208 90 49
3919 90 90
8504 90 10
8544 11 10
8544 49 99</td><td>चार्जर/एडाप्टर के ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल :-
(क) वार्निश
(ख) इन्सुलेशन टेप
(ग) फेराइट कोर
(घ) तांबे के तार तामचीनी
(ङ) ट्रिपल इन्सुलेटेड घुमावदार तार
परन्तु इस क्र. सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।</td><td>5%</td><td>1”;</td></tr>
</table>
(iv) क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, “8518 (8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30 और 8518 90 00 के सिवाय)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;</td>
</tr>
</table>

5.	अधिसूचना सं. 8/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 सा. का. नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- "1क. टैरिफ मद 3006 10 10 के अधीन आने वाले सर्जिकल टांके के निर्माण में उपयोग के लिए टैरिफ मद 9018 32 10 के अधीन आने वाली सर्जिकल सुई।

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण:

1. मूल अधिसूचना संख्या 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. मूल अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
3. मूल अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.123(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
4. मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमा शुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

5. मूल अधिसूचना संख्या 8/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 68(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021- सीमा शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 237(अ), तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 15/2022-Customs

G.S.R. 89 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes further amendments in the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below to the extent specfied in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Notification number and Date</th><th>Amendments</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Notification No. 25/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, vide number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2002.</td><td>In the said notification, in the opening paragraph, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that nothing contained in this notification shall apply after 31st March, 2024.".</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Notification No. 24/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, vide number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2005.</td><td>In the said notification, in the TABLE, -
(i) against Sr. No. 13S, in column (3), after item (j), the following item shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2022, namely: -
“(k) Wrist wearable devices (commonly known as smart watches)”;
(ii) or Sr. No. 23 and the entries relating thereto, the following Sr. No. and entries shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022, namely: -
<table><tr><td>“23.</td><td>8541 (except 8541 42 00 or 8541 43 00)</td><td>All goods other than Photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels.”;</td></tr></table>(iii) after Sr. No. 38, the following Sr. No. and entries shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2022, namely :-
<table><tr><td>“38A.</td><td>8541 42 00 or 8541 43 00</td><td>All goods for use solely and exclusively with goods covered under S. Nos. 1 to 38.”.</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Notification No. 25/2005 - Customs, dated the 1st March, 2005, vide number G.S.R. 123(E), dated the 1st March, 2005.</td>
<td>In the said notification, in the TABLE, -
(i) against S. No. 9, for the entry in column (3), the entry "Line telephone handsets" shall be substituted;
(ii) for S. No. 28 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :-
<table>
<tr><td>“28.</td><td>8544 42, 8544 49</td><td>Electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, of a kind used for telecommunications other than USB cables for cellular mobile phones.”;</td></tr>
</table>
(iii) against S. No. 28, in column (3), for the words “mobile phones”, the words “mobile phones or wrist wearable devices (commonly known as smart watches” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022.
(iv) after S. No. 32, the following S. No. and entries shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2022, namely :-
<table>
<tr><td>“32A.</td><td>8541 42 00 or 8541 43 00</td><td>All goods for use solely and exclusively with goods covered under S. Nos. 1 to 32.”.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Notification No. 57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 vide number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017.</td>
<td>In the said notification, in the TABLE, -
(i) against S. No. 5, in column (3), for item (a), the following item shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022, namely: -
“(a) All goods other than the parts of cellular mobile phones or wrist wearable devices (commonly known as smart watches)”;
(ii) against S. No. 6B, in column (3), the proviso shall be omitted;
(iii) after S. No. 13A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -
<table>
<tr><td>“13B.</td><td>

3208 90 49
3919 90 90
8504 90 10
8544 11 10
8544 49 99</td><td>The following goods for use in manufacture of a transformer of a charger/adapter:-
(a) Varnish
(b) Insulation tape
(c) Ferrite core
(d) Copper wires enameled
(e) Triple insulated winding wire
Provided that nothing in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2024.</td><td>5%</td><td>1”;</td></tr>
</table>
(iv) against S. No. 18, in column (2), for the entries, the entries “8518 (except 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30 and 8518 90 00)” shall be substituted.
</td>
</tr>
</table>

5.	Notification No. 8/2020-Customs, dated 2nd February, 2020 *vide* number G.S.R. 68(E), dated 2nd February, 2020.	In the said notification, in the TABLE, - (i) after Sl. No. 1 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: - "1A. | Surgical needles falling under tariff item 9018 32 10 for use in manufacture of surgical sutures falling under tariff item 3006 10 10.".

2. Save as otherwise provided, this notification shall come into force on the 2nd February, 2022.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. **25/2002**-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R.122(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 57/2021- Customs, dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 906(E), dated the 29th December, 2021.
2. The principal notification No**. 24/2005**-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.122(E), dated the 1st March, 2005 and was last amended by notification No. 57/2021- Customs, dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 906(E), dated the 29th December, 2021.
3. The principal notification No. **25/2005**-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.123(E), dated the 1st March, 2005 and was last amended by notification No. 57/2021- Customs, dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 906(E), dated the 29th December, 2021.
4. The principal notification No.**57/2017**-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 57/2021- Customs, dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 906(E), dated the 29th December, 2021.
5. The principal notification No.**8/2020**-Customs, dated the 2nd February, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 68(E), dated the 2nd February, 2020 and was last amended by notification No. 22/2021- Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 237(E), dated the 31st March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.01 23:15:25 +05'30'